

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एक भवन/पुरुषाण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण प्रारंभ होने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पी + 1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 188 दिनांक 22/03/2019
 मर्ची/कापील चौधरी एच 2 अफ्री प्रकाश चौधरी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = 138 बांशी कोलोनी
 धारा 194 (7) (ग) के तहत आवासीय अन्तर्गत की कोठी
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 99381/- (जमा)
 जसिधे रसोई संख्या 1038/4522, 4523
 दिनांक 22/03/2019 को जमा करा दी है ।

Gar 2017

सहायक नगर निबंधक
नगर निगम, जोधपुर

Received
RBI
22/7/19.